श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-16

Ref. No. Guest Teacher/2020-21/296 Date : 30/09/2020

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (शैक्षणिक सत्र 2020-21) के लिये अतिथि अध्यापक (Guest Lecturer) के रूप में निम्नलिखित पद के लिये आवेदन आमत्रित करता है –

क्र.स.	पद का नाम	विषय	पदो का संख्या	अतिथि अध्यापक वेतन/पारिश्रमिक राशि
1	अतिथि अध्यापक	(व्याकरण)	02	1500/– रुपये प्रति व्याख्यान तथा अधिकतम 50000/– रुपये प्रति माह, जो भी कम हो, देय होगा।
2.	अतिथि अध्यापक	(वास्तुशास्त्र)	01	
3.	अतिथि अध्यापक	(धर्मशास्त्र)	01	
4.	अतिथि अध्यापक	(साख्ययोग)	01	
5.	अतिथि अध्यापक	(पुराणेतिहास)	01	

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अन्तर्गत आवश्यक योग्यता निम्न प्रकार है :–

1. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सबधित/संगत/सबद्ध विषय मे 55 प्रतिशत अक के साथ निष्णात (स्नातकोत्तर) उपाधि (अथवा जहा कही भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहा प्वाइट स्केल मे समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना 18 जुलाई,2018 अन्तर्गत नियम 3.4 (I) मे उल्लिखित आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियो एव नियम 3.5 के अनुसार सबधित अभ्यर्थियो को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अक से कम करके 50 प्रतिशत अक) की छूट प्रदान की जायेगी।

2. उक्त अर्हताओ को पूरा करने के साथ–साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/Ph.D. उपाधि के लिये न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमे बाद मे किये गये सशोधनो, जैसा भी मामला हो, के अनुसार Ph.D. की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हे NET/ SLET/SET से छूट प्रदान की जायेगी :

   बशर्ते कि दिनाक 11 जुलाई,2009 से पूर्व एमफिल/पीएच.डी कार्यक्रम के लिये पजीकृत अभ्यर्थियो को उपाधि प्रदान करने वाली सस्थाओ के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशो/उपनियमो/विनियमो के उपबधो द्वारा अभिशासित होगे। ऐसे सभी पीएच.डी. धारक अभ्यर्थियो को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने के अध्यधीन सहायक आचार्य/अतिथि अध्यापक/अनुबध अध्यापक के पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिये NET/ SLET/SET से छूट प्रदान की जायेगी :–

   1) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,
   2) पीएचडी शोधप्रबन्ध का मूल्याकन कम से कम दो बाह्य परीक्षको द्वारा किया गया हो,
   3) पीएचडी के लिये अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो,
   4. अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसधान पत्रो को प्रकाशित किया हो जिनमे से कम से कम एक सन्दर्भित जर्नल मे प्रकाशित हो,
   5) अभ्यर्थी ने वि.वि.अ. आयोग/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी एजेसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायकता प्राप्त सम्मेलनो/विचार गोष्ठियो मे अपने पीएचडी कार्यो के आधार पर कम से कम दो पत्रो को प्रस्तुत किया हो

3. संस्कृत माध्यम से पढाने की कुशलता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

नोट : ऐसी विधाओ मे निष्णात कार्यक्रमो के लिये NET/ SLET/SET अर्हता अपेक्षित नही होगी जिनमे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, CSIR द्वारा NET/ SLET/SET अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे NET/ SLET/SET आदि आयोजित नही की जाती।

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट–II (तालिक 3क) मे यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांको पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित है।)

कृ.पृ.उ. ....

पूर्व पृष्ठ से–

शर्ते :– 1. उपर्युक्त पदों से संबंधित सामान्य जानकारी एवं दिशानिर्देशों के साथ निर्धारित आवेदन–पत्र को विश्वविद्यालय के वैबसाइट **www.slbsrsv.ac.in** से **Download** किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र में निर्धारित सभी कॉलम को पूरित एवं निर्देशित दिशानिर्देशों के अनुसार सन्दर्भित प्रपत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा नकद / स्पीड पोस्ट / रजिस्ट्रड पोस्ट अथवा अन्य किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं किया जायेगा।

2. निर्धारित आवेदन–पत्र को विधिवत रूप से पूर्ण कर संलग्न प्रपत्रों सहित स्कैन की गई साफ्ट कॉपी को विश्वविद्यालयीय ई–मेल आईडी registrar@slbsrsv.ac.in पर दिनाक 19 / 10 / 2020 तक प्रेषित करना आवश्यक है। अंतिम तिथि (19 / 10 / 2020) के पश्चात् प्राप्त आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किए जाएँगे, जब तक कि वह विश्वविद्यालय के भर्ती नियमों के उपनियम–9(IV) अनुसार विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नही किए जाते है।

3. अतिथि अध्यापक की नियुक्ति शैक्षणिक–सत्र 2020–21 के लिये होगी, जो आवश्यकतानुसार/नियंत्रण अधिकारी के कार्यनिष्पादन समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर शैक्षणिक–सत्र 2021–22 के लिए बढ़ाई जा सकती है।

4. चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

5. साक्षात्कार की तिथि आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद विश्वविद्यालयीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

6. नियुक्ति हेतु चयन/साक्षात्कार समिति द्वारा ली गई निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

7. अतिथि अध्यापक को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा।

8. साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की भत्ता देय नहीं होगा।

सहायक कुलसचिव (चयन)